न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 617/2023
अनवान : –

1. जुल्फकार पुत्र पप्पु खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 08/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 48/47 की कुल 9.4970 हैक्ट भूमि में से 8491/94970 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम जुल्फकार पुत्र इण्स्माईल उर्फ असलम दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम जुल्फकार पुत्र पप्पू खां है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नाम के संबंध में प्रस्तुत तस्दीक में भी दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम जुल्फकार पुत्र पप्पू खां राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी का नाम जुल्फकार पुत्र इस्माईल उर्फ असलम के स्थान पर जुल्फकार पुत्र पप्पू खां दर्ज किया जाना उचित है। मुस्ताक पुत्र असलम द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी मेरा भाई है एवं मेरे भाई के समस्त दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम पप्पु खां है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम बलमोहम्मद पुत्र पप्पू खां है जबकि राजस्व रिकार्ड में जुल्फकार पुत्र ईस्माईल उर्फ असलम गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में जुल्फकार पुत्र पप्पुखां दर्ज है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम जुल्फकार पुत्र पप्पु खां राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:03:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 48/47 की कुल 9.4970 हैक्ट भूमि में से 8491/94970 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी का नाम जुल्फकार पुत्र इस्माईल उर्फ असलम दर्ज है के स्थान पर जुल्फकार पुत्र पप्पू खां दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट आदि में वादी का नाम जुल्फकार पुत्र पप्पू खां अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 48/47 की कुल 9.4970 हैक्ट भूमि में से 8491/94970 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम जुल्फकार पुत्र इस्माईल उर्फ असलम के स्थान पर जुल्फकार पुत्र इस्माईल उर्फ असलम उर्फ पप्पू खां के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जुल्फकार पुत्र ईस्माईल उर्फ असलम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जुल्फकार पुत्र ईस्माईल उर्फ असलम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जुल्फकार पुत्र ईस्माईल उर्फ असलम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:03:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 617/2023
अनवान : –

1. जुल्फकार पुत्र पप्पु खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 617 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 48/47 की कुल 9.4970 हैक्ट भूमि में से 8491/94970 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम जुल्फकार पुत्र इस्माईल उर्फ असलम के स्थान पर जुल्फकार पुत्र इस्माईल उर्फ असलम उर्फ पप्पू खां के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जुल्फकार पुत्र ईस्माईल उर्फ असलम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जुल्फकार पुत्र ईस्माईल उर्फ असलम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जुल्फकार पुत्र ईस्माईल उर्फ असलम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:03:03 IST
Reason: SelfAttested